



उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 संपठित उत्तराखण्ड सम्पत्ति का मूल्यांकन (संशोधन नियमावली) 2015 के अधीन जनपद देहरादून के निबंधन उप जिला विकासनगर प्रथम / द्वितीय प्रमुख मार्गों / नगरीय क्षेत्रों / अर्द्धनगरीय / ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम औसत बाजारी दरों का निर्धारण (यह दरें दिनोंक 13 जनवरी 2020 से प्रभावी होंगी)


(बीर सिंह बुदियाल)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून


कार्यालय कलेक्टर, देहरादून


(सी० रविशंकर)

आई०ए०एस०
कलेक्टर, देहरादून

दिनोंक: 13, जनवरी 2020

- पत्रांक: 4105 / स्टाम्प लिपिक-मू०सू० / 2020
- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, परिपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
- 1-प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 2-महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 3-जिला निबंधक, देहरादून।
 - 4-सहायक महानिरीक्षक निबंधन, देहरादून।
 - 5-जिला स्टाम्प अधिकारी, देहरादून।
 - 6-उप जिलाधिकारी विकासनगर।
 - 7-उप निबंधक प्रथम / द्वितीय विकासनगर।
 - 8-तहसीलदार, विकासनगर।


(सी० रविशंकर)

आई०ए०एस०
कलेक्टर, देहरादून

ग्रामीण क्षेत्र
(प्रमुख मार्गों से 350 मीटर की दूरी को छोड़कर)

क्रमांक	प्रमुख मार्ग / मौहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि प्रति हैक्टेयर लाख रुपये में सामान्य दर	अकृषि भूमि / संपत्ति (रुपये प्रति वर्गमीटर) सामान्य दर	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया दर रुपये प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रुपये प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रुपये प्रति वर्गमीटर)				
						दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान					
1	A	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1	बावनधार	45	1300	15300	51000	47700	12000	10000		
		2	पष्टा	45	1300	15300	51000	47700	12000	10000		
		3	कोटी	45	1300	15300	51000	47700	12000	10000		
		4	बकारना	45	1300	15300	51000	47700	12000	10000		
		5	मलौर	45	1300	15300	51000	47700	12000	10000		
		6	पपडियान	45	1300	15300	51000	47700	12000	10000		
		7	डलानी	45	1300	15300	51000	47700	12000	10000		
		8	खेडा पछवा	45	1300	15300	51000	47700	12000	10000		
		9	मदरू	45	1300	15300	51000	47700	12000	10000		
2	B	10	मटोगी	45	1300	15300	51000	47700	12000	10000		
		1	हरनौल	75	2400	16400	53000	48000	12000	10000		
		2	चक नौगांव	75	2400	16400	53000	48000	12000	10000		
		3	रूद्रपुर	75	2400	16400	53000	48000	12000	10000		
		4	आढ़वाला	75	2400	16400	53000	48000	12000	10000		
		5	जाटोवाला	75	2400	16400	53000	48000	12000	10000		
		3	C	1	मिश्रासपट्टी (नगरपालिका मंसूरी से बाहर)	105	3800	17800	62000	57000	12000	10000
				2	आमवाला	105	3800	17800	62000	57000	12000	10000
				3	माजरा जूलौ	105	3800	17800	62000	57000	12000	10000

(बीर सिंह बुढ़ियाल)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून

4	D	4	भगवानपुर जुली	105	3800	17800	62000	57000	12000	10000
		5	जमनीपुर	105	3800	17800	62000	57000	12000	10000
		6	तिपरपुर	105	3800	17800	62000	57000	12000	10000
		1	एनफील्ड टी0कं0 जंगल	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		2	चक सलियावाला	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		3	करीमपुर	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		4	बहादुर गढ	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		5	मझौन	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		6	धरतावाला खास	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		7	दुधई	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		8	अम्बाडी टी कं0 जंगल	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		9	राम सहायवाला	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		10	अम्बाडी जंगल	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		11	डान्डा जंगल	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		12	कुतुबपुर	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		13	धूमनगर	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		14	डौंकवाला	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		15	विनसपुर	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		16	सोरना	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		17	बिन्दार पूरब	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		18	अब्दुल्लापुर	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		19	इन्दीपुर	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		20	खाराखेत	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
21	केशोवाला	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000		
22	पीरवाला	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000		
23	बडवा	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000		

(बीर सिंह बुधियाल)

अपर जिलाधिकारी (विन एवं राजस्व)
देहरादून

		24	पृथ्वीपुर जंगल	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		25	धुम्नीपुर रांगभेवा	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		26	बिरावडी	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
		27	बिन्हार परिचम	52	1600	15600	52000	47700	12000	10000
5	E	1	जामन खाता	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		2	भानवाला	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		3	बालूवाला	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		4	कटापस्थर	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		5	केदासवाला	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		6	बडोवाला	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		7	रामपुर भाउवाला	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		8	कल्याणपुर	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		9	भेदनीपुर बदीपुर	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		10	राजावाला	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		11	चौकी	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		12	प्रतीतपुर कल्याणपुर	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		13	नौगांव	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		14	पेलियो नाथूवाला	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		15	बख्तावरपुर ग्रांट	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		16	मेंहूवाला खालसा	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		17	बुलाकीवाला	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		18	हसनपुर	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		19	सलियावाला	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		20	बदीपुर	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		21	घमोलो	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		22	माजरी	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000
		23	बिशनपुर	90	2800	16800	58000	53000	12000	10000

(बीर सिंह बुदियाल)


अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून

6		F										
1	तौली	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
2	नाड	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
3	तिलवाडी	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
4	रामपुर खुर्द	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
5	मण्डी गंगभोवा	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
6	चक गुजराडा करनपुर	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
7	पौडवाला	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
8	कुल्हाल मटक माजरी	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
9	जगतपुर	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
10	गुजराडा करनपुर	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
11	कुन्जा ग्रान्ट	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
12	हरियावाला कला	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
13	वांदपुर कला	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
14	बंतवाली मण्डी	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
15	पृथ्वीपुर	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
16	अम्बाडी	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
17	लांघा	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
18	होरावाला	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
19	मिर्जापुर उर्फ ढालीपुर	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
20	बिरसनी	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
21	वांदपुर खुर्द	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
22	टिमली	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				
23	कुन्जा	65	1800	15800	52500	47700	12000	10000				

(बीर सिंह बुदियाल)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं साजस्य)
देहरादून

नगरीय क्षेत्र निबंधन उप-जिला विकासनगर
(प्रमुख मार्गों से 350 मीटर की दूरी को छोड़कर)

क्रमांक	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग /मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि प्रति हैक्टर लाख रुपये में सामान्य दर	अकृषि भूमि /सम्पत्ति (रूपये प्रति वर्गमीटर) सामान्य दर	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया दर रूपये प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रूपये प्रति वर्गमीटर)		
						दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A	1 जीवनगढ	130	5300	19300	65500	60000	12000	10000	
2	B	1 रसूलपुर	130	5300	19300	65500	60000	12000	10000	
		2 बाबूगढ	130	5300	19300	65500	60000	12000	10000	
		3 एटनवाग	130	5300	19300	65500	60000	12000	10000	
		4 ढकशानी	130	5300	19300	65500	60000	12000	10000	
		5 भीमावाला	130	5300	19300	65500	60000	12000	10000	
		6 नवाबागढ	130	5300	19300	65500	60000	12000	10000	
		7 सेन्ट्रल होप टाऊन (सेलाकुई)	160	5500	19500	66500	62000	12000	10000	
		8 डाकपत्थर	130	5300	19300	65500	60000	12000	10000	
		9 फतेहपुर	130	5300	19300	65500	60000	12000	10000	
		10 फतेहपुर ग्रान्ट	130	5300	19300	65500	60000	12000	10000	


(बीर सिंह बुढियाल)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहसादून

प्रमुख मार्ग विकासनगर निबंधन उप जिला-विकासनगर
(प्रमुख मार्ग पर 0 से 350 मीटर दूरी के अर्न्तर्गत)

क्रमांक	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि प्रति हैक्टेयर लाख रूपये में सामान्य दर	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रूपये प्रति वर्गमीटर) सामान्य दर		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया दर रूपयेप्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रूपये प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रूपये प्रति वर्गमीटर)	टीनपोश
				0 से 50 मीटर तक	50 मीटर छोड़कर 350 मीटर तक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A	1 विकासनगर में अटवाईस फुटा रोड पर 2 विकासनगर में हरिपुर टकरानी रोड से भीमावाला रोड तक छोटी नहर के दोनो ओर अंत तक 3 विकासनगर में मुख्य मार्ग चकराता रोड से पहाड़ी गली में छोटी नहर तक सडक के दोनो ओर 4 विकासनगर में मुख्य मार्ग चकराता रोड से पंडित देवदत्त मार्ग पर विजली चौक तक सडक के दोनो ओर 5 विकासनगर में चकराता रोड से 350 मीटर के बाद विद्यापीठ मार्ग से बार्डपास तक सडक के दोनो ओर 6 विकासनगर में मण्डी चौक से भीमावाला रोड पर छोटी नहर तक सडक के दोनो ओर 7 विकासनगर में विकासनगर बार्डपास मार्ग पर सडक के दोनो ओर 8 विकासनगर में पांवटा रोड पर हरिपुर में वलाउड बैडिंग पावर्डट से शर्मा फार्म हाउस अंत तक सडक के दोनो ओर 9 विकासनगर में मुख्य मार्ग चकराता रोड से	—	6700	6000	20700	70000	65000	12000	10000

(बीर सिंह बुदियाल)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून

		पुरानी चुंगी लाधा की ओर जाने वाली सड़क पर गुरूराम राय स्कूल की पुलिस मंदिर तक सड़क के दोनो ओर								
		10 विकासनगर में चकराता रोड से 350 मीटर के बाद सैयद वाली गली से बाईपास तक सड़क के दोनो ओर	-	6700	6000	20700	70000	65000	12000	10000
		11 विकासनगर में चकराता रोड से 350 मीटर के बाद गीता भवन से बाईपास तक सड़क के दोनो ओर	-	6700	6000	20700	70000	65000	12000	10000
		12 विकासनगर में ग्राम टकसानी में चकराता रोड से हरिपुर टकसानी रोड पर बड़ी नहर के अंत तक	-	6700	6000	20700	70000	65000	12000	10000
2	B	1 धौलास की सीमा के बाद चौकी मार्ग पर	180	4800	4400	18800	62400	57300	12000	10000
		2 शिमला बाईपास रोड पर शाहपुर कल्याणपुर की सीमा समाप्ति के बाद कुल्लाल पुलिस चौकी तक	180	4800	4400	18800	62400	57300	12000	10000
		3 भाऊवाला चौक डूंगा मार्ग पर टून हाउसिंग की सीमा तक	180	4800	4400	18800	62400	57300	12000	10000
		4 शिमला बाईपास रोड पर ईस्ट होप टाउन की सीमा के बाद पुलिस चौकी पेलियो से पेलियो की सीमा समाप्ति तक	180	4800	4400	18800	62400	57300	12000	10000
		5 शंकरपुर हुकुमतपुर तिलवाडी मार्ग पर अटकफर्म की सीमा समाप्ति के बाद तिलवाडी चौक तक	180	4800	4400	18800	62400	57300	12000	10000
		6 छरवा होरावाला मार्ग पर ग्राम छरवा की सीमा समाप्ति के बाद होरावाला की सीमा तक	180	4800	4400	18800	62400	57300	12000	10000
		7 बरोटीवाला चौक से ग्राम जाननखाता की सीमा समाप्ति के बाद महुँवाला खालसा की सीमा तक	180	4800	4400	18800	62400	57300	12000	10000
		8 चकराता रोड पर सहसपुर की सीमा के बाद पेट्रोल पम्प से टाकी की सीमा समाप्ति तक	180	4800	4400	18800	62400	57300	12000	10000
		9 भाऊवाला चौक से रामपुर भाऊवाला की सीमा समाप्ति के बाद तिलवाडी मार्ग (स्वारना पुल तक)	180	4800	4400	18800	62400	57300	12000	10000
		10 शिमला बाईपास रोड पर शेरपुर सीमा समाप्ति के बाद कल्याणपुर की सीमा तक	180	4800	4400	18800	62400	57300	12000	10000

(बीर सिंह बुदियाल)

अपर डिवीजन (वि. व. राजस्व)
देहरादून

		11	शिमला बार्डपास रोड पर फारेस्ट बैरियर निपरपुर की सीमा से प्राथमिक विद्यालय होते हुए से फारेस्ट बैरियर सभावाला मेदनीपुर बद्दीपुर की सीमा तक	180	4800	4400	18800	62400	57300	12000	10000
3	C	1	हरबर्टपुर में चौक से सड़क के चारों ओर 100 मीटर की दूरी के अन्तर्गत	-	14000	-	28000	78500	72500	12000	10000
4	D	1	विकासनगर में मण्डी चौक से डाकपत्थर रोड तक सड़क के दोनों ओर	-	9200	8200	23200	78000	72000	12000	10000
		2	विकासनगर में डाकपत्थर जाने वाली सड़क से चकराता रोड पर पुराना सिनेमा हाल तक सड़क के दोनों ओर	-	9200	8200	23200	78000	72000	12000	10000
		3	विकासनगर में चकराता रोड पर पुराना सिनेमा हाल से विकासनगर तहसील सीमा तक मुख्य मार्ग चकराता रोड के दोनों ओर	-	9200	8200	23200	78000	72000	12000	10000
		4	विकासनगर में लेमन की पुलिया से पुरानी चुंगी तक चकराता रोड के दोनों ओर	-	9200	8200	23200	78000	72000	12000	10000
		5	विकासनगर में पुरानी चुंगी से मण्डी चौक तक सड़क के दोनों ओर	-	9200	8200	23200	78000	72000	12000	10000
5	E	1	हरबर्टपुर में चौक से 100 मीटर के बाद विकासनगर जाने वाली सड़क पर लेमन की पुलिया तक सड़क के दोनों ओर	300	8200	7100	22200	76000	70000	12000	10000
		2	विकासनगर में चकराता रोड से 350 मीटर के बाद उपासना टाकीज सिनेमा गली तक सड़क के दोनों ओर	-	8200	7100	22200	76000	70000	12000	10000
		3	विकासनगर में चकराता रोड से 350 मीटर के बाद अस्पताल रोड पर बार्डपास तक सड़क के दोनों ओर	-	8200	7100	22200	76000	70000	12000	10000
		4	हरबर्टपुर में चौक से 100 मीटर के बाद जूनियर हाई स्कूल तक सड़क के दोनों ओर	300	8200	7100	22200	76000	70000	12000	10000
		5	हरबर्टपुर में चौक से 100 मीटर के बाद सहारनपुर रोड पर फतेहपुर की सीमा तक सड़क के दोनों ओर	300	8200	7100	22200	76000	70000	12000	10000
		6	हरबर्टपुर में चौक से 100 मीटर के बाद	300	8200	7100	22200	76000	70000	12000	10000

(बीर सिंह बुधियाल)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून

		पावटा रोड, पुलिया व लाल बहादुर शास्त्री स्कूल तक सड़क के दोनो ओर																				
		7 विकासनगर में चकराता रोड से 350 मीटर के बाद सिनेमा गली चौक से कालेज रोड अस्पताल चौक तक सड़क के दोनो ओर	-	8200	7100	22200	76000	70000	12000	10000												
6	F	1 चकराता रोड पर नन्दा की चौकी से वन विभाग बैरियर से रिजेन्टा होटल होते हुए रिजर्व फारेस्ट की सीमा समाप्ति तक	295	7800	6800	21800	75000	70000	12000	10000												
		2 शिमला बार्डपास रोड पर शीशमबाड़ा की सीमा समाप्ति के बाद चकमंशा की सीमा तक	295	7800	6800	21800	75000	70000	12000	10000												
		3 शिमला बार्डपास रोड पर मल्हानग्रान्ट की सीमा तक	295	7800	6800	21800	75000	70000	12000	10000												
		4 शिमला बार्डपास रोड पर विकासनगर की सीमा बड़ोवाला पुल से अग्रवाल डेवलपर से भूडडी चौक होते हुए ईस्ट होप टाउन की सीमा समाप्ति तक	295	7800	6800	21800	75000	70000	12000	10000												
		5 चकराता रोड पर रिजर्व फारेस्ट की सीमा के बाद सेलाकुई की सीमा समाप्ति तक	295	7800	6800	21800	75000	70000	12000	10000												
		6 नन्दा की चौकी से विधाली मार्ग पर पैट्रोलियम यूनियर्सिटी होते हुए डूंगा चौक तक एवं पौधा चौक से फूलसनी की सीमा समाप्ति तक	295	7800	6800	21800	75000	70000	12000	10000												
		7 चकराता रोड पर ग्राम ढाकी की सीमा के बाद धर्मकांटा होते हुए छरवा की सीमा समाप्ति तक	295	7800	6800	21800	75000	70000	12000	10000												
		8 चकराता रोड पर लांघा रोड पर जनार्दन प्लाईवुड फैक्ट्री होते हुए लक्ष्मीपुर ब्रह्मदत्त चौक तक एवं होरावाला मार्ग पर छरवा तिराहे तीनों ओर छरवा की सीमा समाप्ति तक	295	7800	6800	21800	75000	70000	12000	10000												
		9 चकराता रोड पर शंकरपुर एवं रामपुरकला की सीमा के बाद सहसपुर पुलिस चौकी होते हुए सहसपुर की सीमा समाप्ति तक	295	7800	6800	21800	75000	70000	12000	10000												
		10 चकराता रोड पर राजा रोड तिराहे से निगम रोड पर सेलाकुई की सीमा तक	295	7800	6800	21800	75000	70000	12000	10000												

(बीर सिंह कुदियाल)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून

		11	चकराता रोड पर रिजोन्स होटल से आगे सुद्धौवाला चौक से डूंगा मार्ग पर सुद्धौवाला की सीमा तक	295	7800	6800	21800	75000	70000	12000	10000
7	G	1	डूंगा चौक से डूंगा मिश्रासपट्टी मार्ग पर नेचर क्वैर एवं राणा फार्म होते हुए अंत तक	200	5000	4200	19000	67000	61500	12000	10000
		2	चकराता रोड पर जस्सोवाला वन निगम डिपो से हरबर्टपुर की पुलिया तक	200	5000	4200	19000	67000	61500	12000	10000
		3	साहारनपुर रोड पर धर्मावाला चौक से प्रतीतपुर कल्याणपुर की सीमा समाप्ति तक	200	5000	4200	19000	67000	61500	12000	10000
		4	ब्रह्मदत्त चौक से बरोटीवाला चौक के दोनो ओर ग्राम जामनखाता की सीमा समाप्ति तक	200	5000	4200	19000	67000	61500	12000	10000
		5	तिलवाडी चौक से कोटडा कल्याणपुर चौक तक	200	5000	4200	19000	67000	61500	12000	10000
8	H	1	हरबर्टपुर में लाल बहादुर शास्त्री स्कूल से ढकरानी कालोनी की ओर जाने वाली सड़क पर ढकरानी छोटी नहर तक सड़क के दोनो ओर	270	7200	6800	21200	74000	69000	12000	10000
		2	हरबर्टपुर में लाल बहादुर शास्त्री स्कूल से ढकरानी कालोनी की ओर जाने वाली सड़क पर ढकरानी छोटी नहर से बड़ी नहर तक सड़क के दोनो ओर (सिविल न्यायालय मार्ग)	270	7200	6800	21200	74000	69000	12000	10000
		3	विकासनगर में छोटी नहर के दोनो ओर भीमावाला रोड से गुरूद्वारा रोड	-	7200	6800	21200	74000	69000	12000	10000
		4	विकासनगर में चकराता रोड से 350 मीटर के बाद डाकपत्थर जाने वाले तिराहे से डाकपत्थर रोड पर सड़क के मध्य से छोटी नहर तक सड़क के दोनो ओर एवं छोटी नहर से बड़ी नहर के मध्य के दोनो ओर अंत तक एवं बड़ी नहर चौक से डाकपत्थर रोड पर गढवाल मण्डल विकास निगम तक	-	7200	6800	21200	74000	69000	12000	10000
		5	विकासनगर में गुरूद्वारा रोड से चकराता रोड तक छोटी नहर के दोनो ओर	-	7200	6800	21200	74000	69000	12000	10000
		6	हरबर्टपुर में लाल बहादुर शास्त्री स्कूल से पावटा की ओर जाने वाली सड़क के मध्य से छोटी नहर तक सड़क के दोनो ओर	270	7200	6800	21200	74000	69000	12000	10000

(बीर सिंह बुढियाल)

अपर जिल्हाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून

		7	हरवटपुर में फलेहपुर की पुलिसा से आसन के पुल तक सड़क के दोनो ओर	270	7200	6800	21200	74000	69000	12000	10000
		8	हरवटपुर में जूनियर हाई स्कूल से लेकर भट्टे की पुलिसा तक सड़क के दोनो ओर	270	7200	6800	21200	74000	69000	12000	10000
		9	हरवटपुर में लेमन पुलिसा के बाद लेमन अस्पताल को जाने वाली सड़क पर लेमन अस्पताल तक सड़क के दोनो ओर	270	7200	6800	21200	74000	69000	12000	10000
		10	हरवटपुर में पांवटा रोड पर छोटी नहर से सड़क के दोनो ओर	270	7200	6800	21200	74000	69000	12000	10000
9	I	1	चकराता रोड पर घमोलो की सीमा के बाद एरसर पैट्रोल पम्प से राधा स्वामी सतसंग होते हुए खुशहालपुर की सीमा समाप्ति तक	215	5700	4800	19700	70500	63000	12000	10000
		2	शिमला बाईपास रोड पर चकमंशा सीमा समाप्ति के बाद श्रीराम सेंटेनियल स्कूल होते शेरपुर की सीमा तक	215	5700	4800	19700	70500	63000	12000	10000
		3	चकराता रोड पर 350 मीटर के बाद शकरपुर हुकुमतपुर तिलवाडी मार्ग पर डी आई एम एस कालेज होते हुए कँचीवाला अटकफर्म की सीमा तक	215	5700	4800	19700	70500	63000	12000	10000
		4	नन्दा की चौकी से आमवाला मार्ग पर धौलास की सीमा समाप्ति तक	215	5700	4800	19700	70500	63000	12000	10000
		5	सहारनपुर रोड पर आसन के पुल से पुलिस चौकी होते हुए धर्मावाला चौक तक एवं धर्मावाला चौक से शाहपुर कल्याणपुर की सीमा समाप्ति तक	215	5700	4800	19700	70500	63000	12000	10000
		6	चकराता रोड से सेलाकुई-शीराम बाड़ा मार्ग पर	215	5700	4800	19700	70500	63000	12000	10000
		7	माण्डूवाला चौक से भाऊवाला चौक तक भाऊवाला माण्डूवाला रोड	215	5700	4800	19700	70500	63000	12000	10000
		8	सुदौवाला चौक से डूंगा मार्ग पर सुदौवाला की सीमा के बाद डालिकन कालेज से भाऊवाला चौक होते हुए डूंगा चौक तक	215	5700	4800	19700	70500	63000	12000	10000
		9	चकराता रोड पर राजा रोड तिराहे से सेलाकुई की सीमा समाप्ति के बाद इण्डियन	215	5700	4800	19700	70500	63000	12000	10000

(बीर सिंह ब्रह्मचारी)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
दहरादून

		पालिकास्कूल होते हुए भाऊवाला चौक तक								
10		शिमला बाईपास रोड पर भूडडी चौक से कारवारी ग्रान्ट की सीमा तक	215	5700	4800	19700	70500	63000	12000	10000
11		चकराला रोड पर सेलाकुई की सीमा के बाद सारा इंडरग्राउंड होते हुए शंकरपुर एवं रामपुरकलां की सीमा समाप्ति तक	215	5700	4800	19700	70500	63000	12000	10000
12		भाऊवाला चौक डूंगा मार्ग पर टून हाउसिंग सीमा से डूंगा चौक तक	215	5700	4800	19700	70500	63000	12000	10000
13		शिमला बाईपास कल्याणपुर सीमा समाप्ति के बाद सभावाला पुलिस चौकी से फारेस्ट बैरियर सभावाला की सीमा तक	215	5700	4800	19700	70500	63000	12000	10000
14		शिमला बाईपास रोड पर पेलियो की सीमा के बाद शिवालिक इंजीनियरिंग कालेज होते हुए शीशमवाडा की सीमा तक	215	5700	4800	19700	70500	63000	12000	10000
15		चकराला रोड पर ग्राम छरवा की सीमा के बाद धमोलो की सीमा समाप्ति तक	215	5700	4800	19700	70500	63000	12000	10000
16		चकराला रोड पर खुशाहालपुर की सीमा के बाद जस्सोवाला की सीमा समाप्ति तक	215	5700	4800	19700	70500	63000	12000	10000
10	J	1 कोटडा कल्याणपुर से नाड मोटर मार्ग 2 पौधा कण्डौली मार्ग के मध्य तिराहे से मझौन खारखेत एवं सलियावाला की सीमा समाप्ति तक 3 सहारनपुर रोड पर धर्मावाला चौक से आगे टिमली पुलिस चैक पोस्ट तक 4 लांघा रेडपुर चौक से नौरो पुल तक / बाडवाला उत्तरकाशी मोटर मार्ग	170	3600	3100	17600	59200	54200	12000	10000

(वीर सिंह बुढियाल)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून

अर्द्धनगरीय / विशिष्ट क्षेत्र
(प्रमुख मार्गों से 350 मीटर की दूरी को छोड़कर)

क्रमांक	प्रमुख मार्ग / मौहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम		कृषि भूमि प्रति हेक्टर लाख रुपये में सामान्य दर	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रूपये प्रति वर्गमीटर) सामान्य दर	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया दर रूपये प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रूपये प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रूपये प्रति वर्गमीटर)	टीनपोश
		3	4				दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	A	1	लखनवाला खास	95	3000	17000	58500	53500	12000	10000
		2	लखनवाला नेवट	95	3000	17000	58500	53500	12000	10000
		3	धर्मावाला	95	3000	17000	58500	53500	12000	10000
		4	डूमेट	95	3000	17000	58500	53500	12000	10000
2	B	1	कारवारी ग्रान्ट	122	4300	18300	62700	58000	12000	10000
		2	शीशमबाडा	122	4300	18300	62700	58000	12000	10000
		3	कोल्हूपानी	122	4300	18300	62700	58000	12000	10000
		4	कोटडा सन्तौर	122	4300	18300	62700	58000	12000	10000
		5	धौलास	122	4300	18300	62700	58000	12000	10000
		6	कोटडा कल्याणपुर	122	4300	18300	62700	58000	12000	10000
		7	शेरपुर	122	4300	18300	62700	58000	12000	10000
		8	रामपुर कंला	122	4300	18300	62700	58000	12000	10000
		9	शंकरपुर डुकुमलपुर	122	4300	18300	62700	58000	12000	10000
		10	खुशहालपुर	122	4300	18300	62700	58000	12000	10000
		11	बदाभावाला	122	4300	18300	62700	58000	12000	10000
		12	अम्बीवाला	122	4300	18300	62700	58000	12000	10000
		13	कण्डौली	122	4300	18300	62700	58000	12000	10000
		14	अटकफर्म	122	4300	18300	62700	58000	12000	10000

(बीर सिंह बुढ़ियाल)

अपर जिल्हाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून

3	C	1	जरसोवाला	119	4100	18100	62500	57500	12000	10000		
		2	बैरागीवाला	119	4100	18100	62500	57500	12000	10000		
		3	ढाकी मयचक / ढाकी	119	4100	18100	62500	57500	12000	10000		
		4	मेहरे का गांव	119	4100	18100	62500	57500	12000	10000		
		5	माण्डूवाला	119	4100	18100	62500	57500	12000	10000		
		6	कांसावाली कोठरी	119	4100	18100	62500	57500	12000	10000		
		7	शाहपुर कल्याणपुर	119	4100	18100	62500	57500	12000	10000		
		8	सभवाला	119	4100	18100	62500	57500	12000	10000		
		4	D	1	मल्हान ग्रान्ट	125	5000	19000	63000	58000	12000	10000
				2	पुलसनी	125	5000	19000	63000	58000	12000	10000
				3	सहसपुर	125	5000	19000	63000	58000	12000	10000
				4	धूलकोट माफ़ी	125	5000	19000	63000	58000	12000	10000
5	छरवा			125	5000	19000	63000	58000	12000	10000		
6	सुद्धोवाला			125	5000	19000	63000	58000	12000	10000		
7	वंशीवाला			125	5000	19000	63000	58000	12000	10000		
8	बिधौली			125	5000	19000	63000	58000	12000	10000		
9	धूलकोट खालसा			125	5000	19000	63000	58000	12000	10000		
10	लक्ष्मीपुर			125	5000	19000	63000	58000	12000	10000		
11	झाझरा			125	5000	19000	63000	58000	12000	10000		
5	E			12	पौन्धा	125	5000	19000	63000	58000	12000	10000
		1	चकमंशा	130	5500	19500	65500	59000	12000	10000		
		2	ईस्ट होप टाऊन	130	5500	19500	65500	59000	12000	10000		

(वीर सिंह बुदियाल)
अपर जिल्लाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून

(15)

सामान्य अनुदेशिका

यह मूल्यांकन सूची का भाग है

(A)	कृषि/अकृषि भूमि/बहुमंजिला आवासीय भवन/पलैट तथा वाणिज्यिक भवन/दुकान/प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी सामान्य निर्देश :-
(1)	यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि-
(क)	कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 05 मी0 या अधिक व 12 मी0 से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 05 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या
(ख)	कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 12 मी0 या अधिक व 15 मी0 से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या
(ग)	कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 15 मी0 या अधिक व 18 मी0 से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या
(घ)	कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 18 मी0 या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
(2)	वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।
(3)	शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिनमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियाँ (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़ कर बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तर्गत सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में कमशः- 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
(4)	ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित है, के अनुसार एवं अनुलगनक खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर के 1.10 गुना दर के आधार पर आकलित किया जायेगा।

(बीर सिंह बुदियाल)
अपर जिल्दामधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून

(5)	एकल व्यवसायिक सम्पत्ति, जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो, के अन्तर्ण विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में कमशः- 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
(6)	1000 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी, परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी,
(7)	उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तर्णित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निर्धारित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।
(8)	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पडने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्ध नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की सम्पत्तियों के अन्तर्ण विलेख पर सम्पत्ति के प्रमुख/मुख्य मार्गों के दोनों ओर 50 मीटर/350 मीटर की दूरी तक प्रमुख/मुख्य मार्गों की निर्धारित दरें ही प्रभावी होंगी।
(9)	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पडने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्ध नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के खसरा नम्बरान की सूची इस सर्किल दर सूची के साथ सलान है। उक्त में आंकित खसरा नम्बरान की दूरी के आधार पर लेख पत्रों के द्वारा अन्तर्णित भूमि/सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया जायेगा। उक्त से अन्यथा दूरी प्रदर्शित कर मूल्यांकन किये जाने की स्थिति में लेखपत्र की प्रति स्टाम्प एक्ट के सुसंगत प्राविधान के अन्तर्गत परीक्षण की कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रेषित की जायेगी।
(10)	कृषि या अकृषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की 1.10 गुनी होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आंकलित दर से होगा।
(11)	किसी भी प्रकार की भूमि/आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर, उक्त भूमि/आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।
(12)	बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित फ्लैट/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर, बहुमंजिली आवासीय परिसर/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

(बीर सिंह कुन्दियाल)
अपर डिप्टी कमिश्नरी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून

(13)	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के आवासीय/औद्योगिक/गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में स्वीकृता प्राधिकारी/संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो, उसका विलेख में उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा, एवं ऐसे स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप लाईसैन्स प्राप्त ड्रापटमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख में संलग्न किया जायेगा एवं जिस भवन का निर्माण बहुत पुराना हो तथा उसका स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध न हो, उस दशा में लाईसैन्स प्राप्त ड्रापटमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख में संलग्न किया जायेगा तथा निर्माण की श्रेणी के संबंध में लिन्टरपोश, टीनपोश अथवा पलैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
(14)	पलैट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ओनरशिप आफ पलैट एक्ट 1975 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।
(15)	भूमि/सम्पत्ति के अन्तरण पर सार्किल दर सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी/क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख कराना अनिवार्य होगा कि अन्तरित भूमि/सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियां/मोहल्लों/क्षेत्रों में स्थित नहीं है।
(16)	वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन में कोई हास मूल्य देय नहीं होगा।
(17)	भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य हास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। पलैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।
(18)	भूमि/सम्पत्ति में बाउण्ड्री वॉल के स्थित होने पर बाउण्ड्री वॉल का मूल्यांकन रुपये 1,000/- प्रति रनिंग मीटर की दर आकलित किया जायेगा।
(19)	भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन रुपये 20,000/- की दर आकलित किया जायेगा।
(20)	टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।
(21)	किसी भी औद्योगिक इकाई में निहित निर्माण का मूल्यांकन, निर्माण की प्रकृति यथा लिन्टरपोश, टीनपोश निर्माण हेतु मूल्यांकन सूची में अंकित दर के अनुसार किया जायेगा।
(22)	किसी भी औद्योगिक इकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त इकाई में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एप्लूड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।

(बीर सिंह बुधियाल)
अपर डिप्टी अधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून

(23)	मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रातिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहां से उन कम्पनियों/प्रातिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 में यथा परिभाषित है।
(24)	किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
(B)	विलेखों में निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा:-
1	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र 2. अर्द्ध नगरीय क्षेत्र 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के संबंध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
2	विलेख में विलेख के द्वारा अंतरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवसीय/अनावासीय/व्यवसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
3	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1-दुकान 2-रेस्टोरेन्ट 3-कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
4	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
5	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित सड़क-सड़को/मार्ग/मार्गों की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
6	पक्षकारों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ ऐसे विलेखों, जिनमें स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत सर्किल दर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है, में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा, जो विलेख का भाग माना जायेगा।
(C) 1	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्र वार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति की प्रकृति की निर्धारित दरों के अनुसार उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी।
2	मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति के समीपस्थ स्थल पर स्थित भूमि/सम्पत्ति की प्रकृति हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
3	निर्गत की जा रही मूल्यांकन सूची में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो उक्त त्रुटि को शुद्ध करने तत्सम्बन्धी निर्देष अलग से निर्गत किये जायेंगे।

(बीर सिंह बुदियाल)
अपर जिन्दाधिकारी (विलत एवं राजस्व)
देहरादून

क्षरण सारणी

कितने वर्ष सुरक्षा दिनांक	क्षरण का गुणांक	कितने वर्ष सुरक्षा दिनांक	क्षरण का गुणांक	कितने वर्ष सुरक्षा दिनांक	क्षरण का गुणांक	कितने वर्ष सुरक्षा दिनांक	क्षरण का गुणांक	कितने वर्ष सुरक्षा दिनांक	क्षरण का गुणांक	कितने वर्ष सुरक्षा दिनांक	क्षरण का गुणांक	कितने वर्ष सुरक्षा दिनांक	क्षरण का गुणांक
1 Yrs	0.990	21	0.809	41	0.662	61	0.541	81	0.443				
2	0.980	22	0.801	42	0.655	62	0.536	82	0.438				
3	0.970	23	0.793	43	0.649	63	0.530	83	0.434				
4	0.960	24	0.785	44	0.642	64	0.525	84	0.429				
5	0.950	25	0.777	45	0.636	65	0.518	85	0.425				
6	0.941	26	0.770	46	0.629	66	0.515	86	0.421				
7	0.932	27	0.762	47	0.623	67	0.509	87	0.417				
8	0.927	28	0.754	48	0.617	68	0.504	88	0.412				
9	0.913	29	0.747	49	0.611	69	0.499	89	0.408				
10	0.904	30	0.739	50	0.605	70	0.494	90	0.404				
11	0.890	31	0.731	51	0.598	71	0.489	91	0.400				
12	0.880	32	0.724	52	0.592	72	0.484	92	0.396				
13	0.870	33	0.717	53	0.587	73	0.480	93	0.392				
14	0.868	34	0.710	54	0.581	74	0.475	94	0.388				
15	0.860	35	0.703	55	0.575	75	0.470	95	0.384				
16	0.851	36	0.696	56	0.569	76	0.465	96	0.381				
17	0.842	37	0.689	57	0.563	77	0.461	97	0.377				
18	0.834	38	0.682	58	0.558	78	0.456	98	0.373				
19	0.826	39	0.675	59	0.552	79	0.452	99	0.369				
20	0.817	40	0.668	60	0.547	80	0.447	100	0.366				

(श्रीर सिंह बुद्धियाल)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून

